न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मोनिका जाखड़ R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022 / 317
प्रकरण संख्या 164 / 22

अनवान

1. श्री दिपेश कुमार पिता प्रेमशंकर आमेटा निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार जी भीण्डर, जिला उदयपुर राज0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

– : : निर्णय : : – **दिनांक :–30.01.2023**

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0 की खाता संख्या नया 1513 में प्रार्थी का नाम दिलीपकुमार पुत्र प्रेमशंकर जाति ब्राह्मण दर्ज है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम दीपेश कुमार आमेटा पुत्र प्रेमशंकर आमेटा है जिसे राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्त किये जाने का निवेदन किया।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। प्रकरण में तहसीलदार को रिपोर्ट हेतु लिखा गया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रार्थी का नाम दिलीपकुमार पुत्र प्रेमशंकर के बजाय दीपेश कुमार आमेटा पुत्र प्रेमशंकर आमेटा संशोधित किये जाने की अनुशंषा की गई।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थी की बहस को सुना। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रार्थी का नाम दिलीपकुमार पुत्र प्रेमशंकर के बजाय दीपेश कुमार आमेटा पुत्र प्रेमशंकर आमेटा संशोधित किये जाने की अनुशंषा की गई। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में [illegible] की प्रति व शैक्षणिक दस्तावेज की प्रति पेश की। प्रार्थी द्वारा [illegible] पत्र के समर्थन में गवाह दिनेश लखारा पुत्र रतनलाल लखारा, योगेन्द्र आमेटा पुत्र शंकरलाल आमेटा के पेश किये व पार्षद नगरपालिका भीण्डर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसमें प्रमाणित किया गया कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Monika Jakhar
Date: 2023.02.22 14:40:09 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का वास्तविक नाम दीपेश कुमार आमेटा पुत्र प्रेमशंकर आमेटा है तथा इन्हे व्यक्तिगत रूप से जानना बताया।

4. अतः उपरोक्त विवेचन एवं तहसीलदार भीण्डर, पटवारी हल्का की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

— : : आदेश : : —

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0 की जमाबंदी संवत् 2078—81 की खाता संख्या नया 1513 में प्रार्थी का नाम दिलीपकुमार पुत्र प्रेमशंकर के बजाय दीपेश कुमार आमेटा उर्फ दिलीपकुमार पुत्र प्रेमशंकर संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले ईजलास आज दिनांक 30.01.2023 को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Monika Jakhar
Date: 2023.02.22 14:40:09 IST
Reason: SelfAttested